देश की आर्थिक भुजा... का शेष

जैसे शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिल जायगा या हमें आयुसीमा में या फीस में कोई छूट मिल जायेगा।

तर्क यह भी है कि जैन सम्प्रदाय 90% साक्षर है माना वह साक्षर है लेकिन अक्षर ज्ञान को भी साक्षर मान लिया जाता है यह रिसर्च का विषय है कि समाज में उच्च शिक्षित कितने प्रतिशत है?

* तर्क यह भी कि इससे देश विखण्डित हो जायेगा, मुझे समझ नहीं आता कि हम कौन सा अलग जैनस्तान की मांग कर रहे है या कौन सी असामाजिक गतिविधियां करने लगेंगे।

* मैं स्वयं इतने सारे हिन्दु संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही हूँ लेकिन कहीं कोई शंका या आशंका नहीं।

हम जैन बंधु इतने हैरान परेशान है लेकिन क्या किसी भी बड़े हिन्दू संगठन ने हमें यह आश्वासन दिया कि आपके उपासना स्थल हम लोगों के सानिध्य में सुरक्षित संरक्षित और यथास्थिति में ही रहेंगे आप आशंकित होकर अल्पसंख्यक की मांग ना करे।

* तर्क यह भी कि यह सिर्फ शुद्ध राजनीतिक लाभ के लिए है तो इसके परिणाम हम सबके सामने है?

* सबसे बड़ा भ्रामक तर्क यह है कि जैन समुदाय सर्वसंपन्न समुदाय है उसे किसी तरह के आर्थिक सहयोग की जरुरत नहीं, मैं मानती हूँ कि जिनका पेट और पेटी दोनों भरी हो उन्हें ऐसा सही लगता है लेकिन आपको सत्य से अवगत करा दूँ।

देश में हर साल 10 बड़े सबसे अमीर लोगों की सूची प्रकाशित होती है उसमें एक भी जैन नहीं होता। केवल 10% जैन ही उच्च आय वर्ग के है, 70% मध्यम आय वर्ग और 20% गरीबी रेखा या उससे नीचे के है।

जब मैंने स्कूल छोड़ चुके बच्चों को पुन: स्कूल में प्रवेश दिलाने के प्रयास में भोपाल की झुग्गी बस्तियों में लगातार भ्रमण किया तो पाया कि बहुत से जैन परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे है जिसकी चर्चा मैंने पूज्य श्री नि:शंकसागरजी महाराज से की व समाधान का तरीका खोजने का प्रयास भी करा। आप चाहे तो अपने शहर में थोड़ी सी खोजबीन करके ऐसे परिवारों की वास्तविक स्थिति ज्ञात कर सकते है?

हमारे साथ दुविधा ये है कि हम केवल अपने और अपने परिवार के बारे में ही सोचते है कोई भी बदलाव हम आसानी से पचा नहीं पाते। अपने आप को इतना महिमामंडित कर देते हैं कि दूसरों की ईर्ष्या का कारण बन जाते है। हम केवल खुद ही दौड़ना चाहते है पीछे कौन से साधर्मी बंधु छूट रहे है हमें इसकी तनिक भी परवाह नहीं होती परिणामस्वरुप कितने साधर्मी बंधु धर्म परिवर्तन कर लेते है। उदाहरण स्वरुप दक्षिण के एक गांव के सभी जैन ईसाई बन गये। कहीं ऐसा ना हो आने वाले वर्षों में हम अति अल्पसंख्यक हो जाये।

हम और आप यह बहुत अच्छे से जानते है कि केवल अल्पसंख्यक का दर्जा मिलने मात्र से किसी समुदाय का भला नहीं हो सकता। जब हम अल्प संख्यक नहीं थे तब भी -

वीरचंद गांधी ने 1893 में शिकागों में विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंदजी के साथ जैन धर्म का झंडा फहराया था।

प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, फिल्म निर्माता वी. शांताराम, वीरेन्द्र हेगड़े, फिल्म निर्माता, निर्देशक गीतकार संगीतकार रवीन्द्र जैन, चुंदेचा बंधु, संजय लीला भंसाली ऐसी अनेको हस्तियां अल्पसंख्यक होने से पहले ही बुलंदी पर थी, इन्होंने अपने कठिन परिश्रम और आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति के कारण ही जैन सम्प्रदाय का सिर उंचा उठाया है।

भारतीय स्थापत्य कला में भी जैन समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान है। ओडिशा का हाथी गुफा मंदिर, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर, कर्नाटक के विश्वप्रसिद्ध गोमटेश बाहुबली प्रतिमा, खजुराहों के पार्श्वनाथ और आदिनाथजी मंदिर जैन धर्म की पताका फहराते हुए हमारे सैकड़ो तीर्थ किसी दर्जे के तहत नहीं बने है लेकिन अब उनको संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए ये दर्जा जरुरी लगता है।

हमें अल्पसंख्यक दर्जे का एकमात्र फायदा यह हो सकता है कि सरकार उन ट्रस्ट और मंदिरों के संचालन में हस्तक्षेप नहीं कर पायगी जिसके पास नकदी और जमीन जायदाद के रुप में भारी सम्पत्ति है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग हमारे कुछ मंदिरों को ढहाना (ध्वस्त)चाहता था अब वह ऐसा आसानी से नहीं कर पायगा।

'हाथ कंगन को आरसी क्या' इसका हाल ही का परिणाम देख लीजिए ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया (एएसआई) मध्यप्रदेश के कुंडलपुर पहाड़ियों पर स्थित सातवीं सदी के जैन मंदिर के स्वामित्व की कानूनी लड़ाई हार गया है सुप्रीम कोर्ट ने जैन समुदाय के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुण्डलपुर जैन मंदिर ट्रस्ट को जरुरी मरम्मत व निर्माण कार्य कराने की अनुमति दे दी है। एएसआई ने दावा किया था कि पुराने मंदिर में श्री आदिनाथजी की मूर्ति स्थापित है जो बड़े बाबा के नाम से लोकप्रिय है वह राष्ट्रीय महत्व का स्थापत्य है अत: 300 मी. के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए।

माना हमने आपने नहीं चाहा कि हम अल्पसंख्यक हो लेकिन बहुत लोगों के लंबे प्रयासों से यदि हमें उपहार स्वरुप यह सुविधा मिली है तो उसके जोड़ घटाने, हानि लाभ के फेर में ना पड़ते हुए रुके, देखे और इंतजार करें।

आवश्यकता है -

बुजुर्ग दम्पत्ति के घर रसोई एवं गृहकार्य करने हेतु त्यक्ता या विधवा महिला की आवश्यकता है - संपर्क **09428734940**

निवेश हेतु संपर्क करे-

इन्दौर नगर के प्राईम लोकेशन में प्लाट एवं फ्लेट खरीदने हेतु शीघ्र संपर्क करे - **रजनीश जैन, 09406627920**

बेचना है -

एम.आ.10 पर लॉर्ड आदिनाथ कालोनी में मंदिरजी के नजदीक का 1000 स्के. फीट का प्लाट बेचना है। संपर्क करे - **जिनेन्द्र जैन, 09329715526**

पंडित प्रदीप जैन (प्रवेश)

09988861540, 09646884353, 09991531540

सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, पर्यूषण पर्व, अष्टान्हिका पर्व, वेदी प्रतिष्ठा, वृहद विधान लघु विधान, जाप्यानुष्ठान, विवाह फेरे, गृह प्रवेश, वास्तु विधान, दीपावली पूजन, वाहन पूजन, सूतक-पातक, शुद्धि, मुहूर्त आदि सभी प्रकार के कार्यक्रमों के लिए संपर्क करे।

वर्ष 2013-14 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सम्मानित करने हेतु आवेदन फार्म

वर्ष 2013-14 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी निम्न प्रारुप में अपना विवरण 15 जुलाई 2014 तक **गोलालारीय दर्शन** कार्यालय पर भेज सकते है।

विद्यार्थी का नाम: _____ कक्षा_____

पिता/माता का नाम : _____

डाक का पूर्ण पता : _____

नगर के पिन कोड फोन सहित देवे। _____

फोन/मोबाइल : _____

पिन न लगायें। नवीन फोटो पर नाम लिख यहां चिपकाएं

कुल अंक: _____ **प्राप्तांक**_____ **प्रतिशत/ग्रेड** _____

विशेष उपलब्धि: _____

विशेष : ● कक्षा 1 से 5 तक 90 % या ए2 ग्रेड ● कक्षा 6 से 8 तक 80 % या बी1 ग्रेड ● कक्षा 8 से स्नातकोत्तर या प्रोफेशनल कोर्सेस में 70 %/ बी2 ग्रेड या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी उक्त प्रारुप, अंक सूची की फोटोकॉपी के साथ **15 जुलाई 14** तक निम्न पते पर भेजे ताकि आगामी अंक में उन्हे उचित स्थान दिया जा सकें। प्राप्त अंक सूचीयों को वरीयतानुसार प्रकाशित करा जावेगा। उक्त प्रारुप की फोटो कॉपी भी कराई जा सकती है। विशेष नोट - अंक सूची पर पूर्णांक/प्राप्तांक/प्रतिशत/ओवर आल ग्रेड (फायनल ग्रेड) स्पष्ट रुप से लिखना अनिवार्य है। ● अंक सूची पर काट पीट या ओवरराइटिंग न करें। उक्त प्रारुप को पूर्ण रुप से स्पष्ट भरा होने पर ही प्रविष्टी मान्य होगी। ● वर्ष 2013-14 की अंकसूची ही स्वीकार होगी। स्नातक/ स्नाकोत्तर/ प्रोफेशनल कोर्सेस पूर्ण होने पर ही उसकी मार्कशीट की फोटोकॉपी भेंजे। ● अंकसूची की संपूर्ण फोटोकॉपी भेजे जिसमें ग्रेड निर्धारण का विवरण अनिवार्य रुप से होना चाहिए।

फार्म भेजने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2014

प्राप्त बॉयोडाटा को प्रकाशित करने में हन पूरी सावधानी रखतें हैं, जिन प्रत्याशियों का संबंध हो गया है उनके अभिभावकों से सादर निवेदन है कि वे संबंध की सूचना हमें प्रेषित करें ताकि "**गोलालारीय दर्शन**" के माध्यम से नवदंपत्ति को बधाई संदेश (मय फोटो) प्रेषित किया जा सकें। यदि आप बॉयोडाटा का पुन: प्रकाशन चाहतें है तो निर्धारित शुल्क 100 रु. एवं उपरोक्त प्रारुप के साथ गोलालारीय दर्शन कार्यालय पर भेज सकते हैं।